कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय कोरबा
जिला-कोरबा (छ0ग0)
मो. नं. – 98268–39141, ई–मेलः gevpg1981@gmail.com www.gevpgkrb.ac.in

पत्र क्रमांक/ 8 . / स्था./2024/कोरबा, दिनांक 11/09/2024

–'सूचना'–

!! सत्र 2024–25 एस.सी./एस.टी. /अन्य पिछड़ा वर्ग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने सूचना !!

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर छ.ग. के पत्र कमांक ऑ.ला.पो.मै.छा./183/2024–25 /5883 नवा रायपुर दिनांक 05.09.2024 के परिपालन में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी/एसटी/अन्य पिछड़ा वर्ग) के नियमित छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2024–25 ऑनलाईन छात्रवृत्ति का पोटल दिनांक **09.09.2024** से प्रारंभ तथा अंतिम तिथि **30.10.2024** है। छात्रवृत्ति ऑनलाईन फार्म भरने के पहले निम्न लिखित निर्देशों को पूर्ण रूप से अध्ययन करने उपरांत ही ऑनलाईन फार्म पूर्ण किया जावेगा–

01) आपका बैंक खाता आधार नंबर से सिडिंग होना अनिवार्य है।

02) आपके पास ऑनलाईन वाला जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र (आय सत्र 2024–25 का होना आवश्यक है)।

03) OTR (One Time Regitration) OTR App से डाउनलोड करने के पश्चात् अपना नामांकन करना होगा (केवल एससी/एसटी वर्ग) साथ ही e kyc by face Authority करना आवश्यक है ये सारे कार्य पूर्ण करने के पश्चात् ही आपको OTR No प्राप्त होगा जिसके बाद ही आप ऑनलाईन फार्म भर सकेगें। आवेदन भरने का पूरा प्रोसेस पीडीएफ के माध्यम से नीचे पेज में दिया गया है। जिसे अध्ययन कर ही फार्म भरें। फार्म भरने में परेशानी आने पर महाविद्यालय के छात्रवृत्ति शाखा से संपर्क करें।

04) आपका Email आईडी फार्म भरते समय जो भी देंगे वहीं इमेल आईडी रहेगा जिसे बाद में बदलना संभव नहीं होगा। पूर्व की भांति इसे बदल नहीं सकते है। इसलिये अपना पुराना या नया ईमेल जो भी प्रवृष्ट करना चाहते है उसी ईमेल को फार्म में भरना होगा। शासन से जो भी योजनाओं का लाभ लेना चाहते है तब तक वहीं ईमेल आईडी मान्य रहेगा, तभी आपके ईमेल में सूचना प्राप्त होगी।

05) एससी/एसटी वर्ग के छात्र–छात्राओं की आय सीमा 2,50000.00 (दो लाख पचास हजार रू) के अधिक न हो। ओबीसी वर्ग के छात्र–छात्राओं की आय सीमा 1,00000.00 (एक लाख रू.) से न हो अधिक होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

06) जाति एवं निवास प्रमाण पत्र छ.ग. शासन के अधिकृत संस्था (तहसीलदार/एसडीएम/आदि द्वारा जारी ही मान्य किया जावेगा। अन्य राज्य द्वारा जारी जाति / निवास मान्य एवं पात्रता नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन फार्म के साथ संलग्न करने वाले आवश्यक दस्तावेज की सूची–

01) 10 वीं, 12 वी, व पिछले वर्ष की उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति।
02) ऑनलाईन जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र (आय की मूल प्रति) संलग्न करें।
03) बैंक पास बुक की छायाप्रति स्पष्ट होना चाहिये।
04) आधार कार्ड की छायाप्रति।
05) सत्र 2024–25 में प्रवेश की रसीद की छायाप्रति।
06) हॉस्टलर दर्शाने पर छात्रावास का प्रमाण पत्र ।
07) एक पासपोर्ट फोटो।
08) छात्र–छात्राओं की ऑनलाईन फार्म पर अपना व अभिभावक का हस्ताक्षर के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में स्वप्रमाणित करना अनिवार्य है।

टीपः– समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, त्रुटियुक्त फार्म जमा नहीं होगा, साइबर वालों के समक्ष बैठकर स्वयं अपनी सही जानकारी भरवाये। त्रुटियुक्त फार्म जमा करने पर फार्म स्वतः निरस्त हो जायेगी जिसके जिम्मेदारी स्वयं छात्र–छात्रा होगें। साथ ही अपना आईडी, पासवर्ड, ओटीआर नंबर, ईमेल अपने पास सुरक्षित रखें। ताकि भविष्य में वहीं काम आयेगा, दोबारा नहीं मिल पायेगा।

11.09.24

12/09/2024

(डॉ. श्रीमती साधना खरे)
प्र. प्राचार्य
शासकीय इं.वि.स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

एक बार पंजीकरण (ओ.टी.आर.)

जिले में संचालित सभी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी जो ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) की पात्रता रखते है को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार एक बार पंजीकरण (ओ.टी.आर.) की अनिवार्यता इस वर्ष से प्रारम्भ कर दी गई है।

OTR (One Time Registration)

अ– सर्व प्रथम ओ.टी.आर. पंजीयन हेतु मोबाईल में नीचे दर्शित दोनों एप्लीकेशन इंस्टाल होना आवश्यक है :–

1) **Download and install NSP OTR App from Google Play Store.**

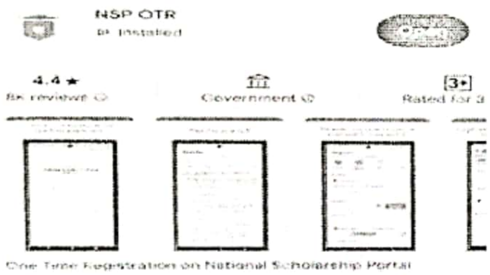

2) **Download and install the Face RD App from Google Play Store.**

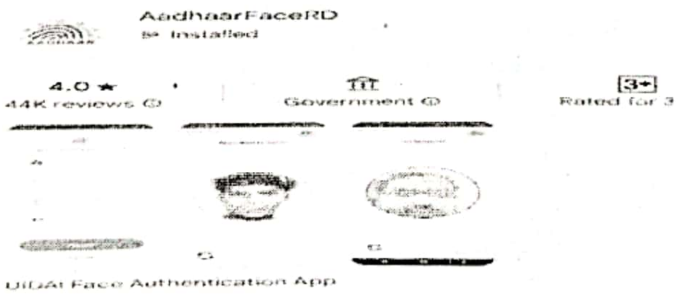

3) **Complete the face-authentication using option "eKYC with FaceAuth" on NSP OTR Mobile App.**

ब– ओ.टी.आर. पंजीयन हेतु निम्नानुसार दस्तावेज/जानकारी आवश्यक है :–

अ.– आधार कार्ड/नंबर,

ब.– मोबाईल नंबर जो आधार से लिंक हो,

स.– बैंक खाता जो आधार से सीडिंग हो,

Scanned with CamScanner

// प्रक्रिया //

01– अपने माबाईल में इंस्टाल एप्प NSP OTR App खोल लेवें,

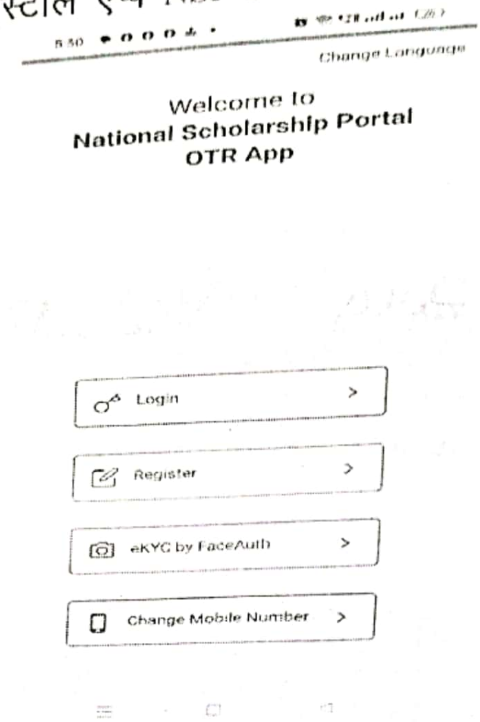

02– Register बिन्दु पर जाए,

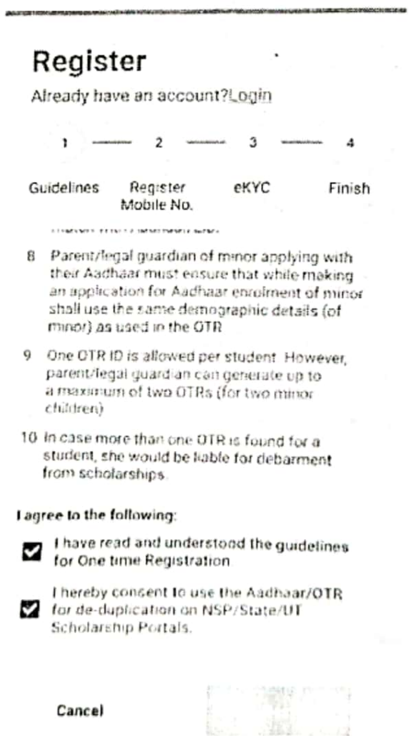

आवश्यक निर्देशों को पढ़कर नीचे चेकबाक्स में टीक कर Next बिन्दु पर क्लिक करें

Scanned with CamScanner

03– दुसरे चरण में आधार से लिंक मोबाईल नंबर दर्ज करे, दर्ज मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, निर्धारित स्थान पर ओटीपी दर्ज करें, नीचे केप्चा दर्ज कर वेरिफाई करें।

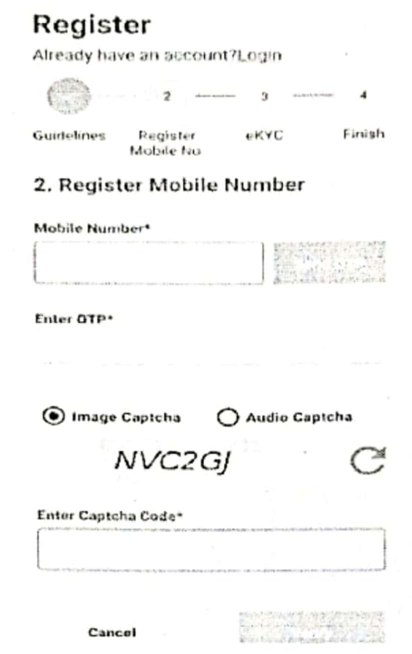

04– तीसरे चरण में आधार नंबर दर्ज करे, मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, निर्धारित स्थान पर ओटीपी दर्ज करें, नीचे केप्चा दर्ज कर **Next** बिन्दु पर क्लिक करें।

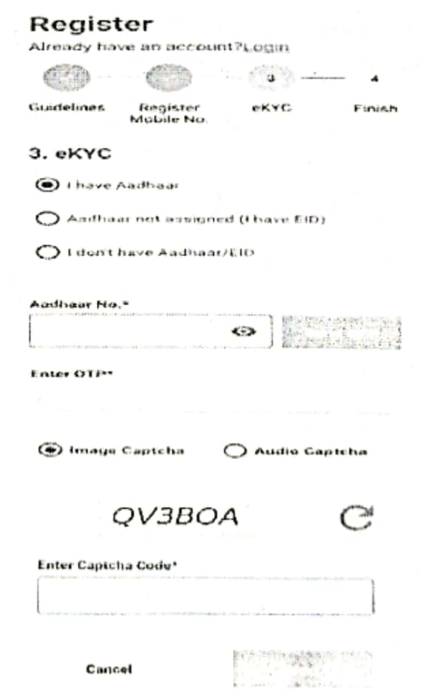

Scanned with CamScanner

05– आधार बैंक से सीडिंग है या नहीं का संदेश प्राप्त होगा।

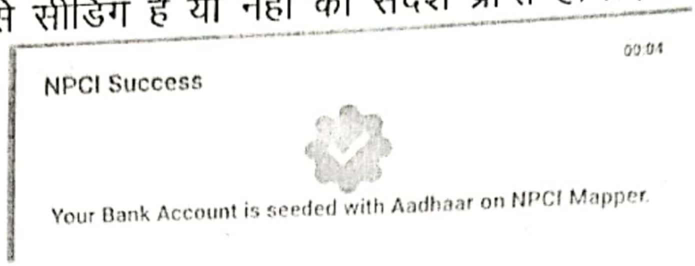

06– चौथे चरण में आधार की जानकारी प्राप्त होगी जो कि पूर्व से दर्ज है, केवल माता का नाम, पिता का नाम एवं अपना ई–मेल पता दर्ज करें, नीचे केप्चा दर्ज कर **Finish** बिन्दु पर क्लिक करें।

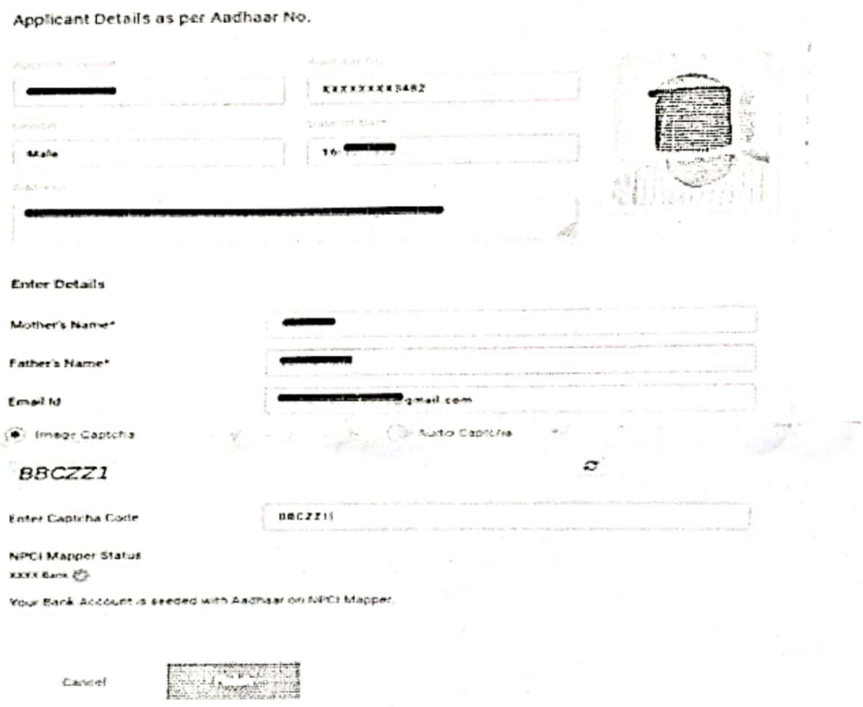

07– पंजीयन का कार्य पूर्ण करने के बाद एक **Registration No.** प्राप्त होगा।

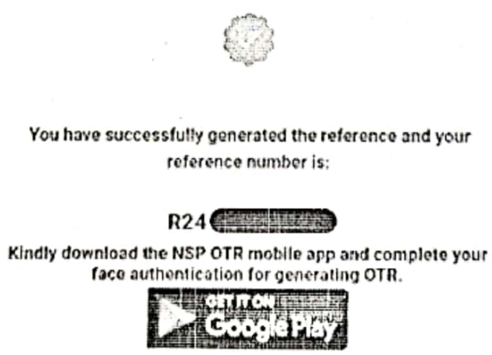

प्राप्त **Registration No.** को सुरक्षित कर लें।

Scanned with CamScanner

08– पंजीयन का कार्य पूर्ण करने के बाद **eKYC by FaceAuth** बिन्दु पर जाए, जिसमें आपके चेहरे का सत्यापन किया जाना है। ब. में पूर्व में प्राप्त **Registration No.** को दर्ज करें।

अ.	ब.
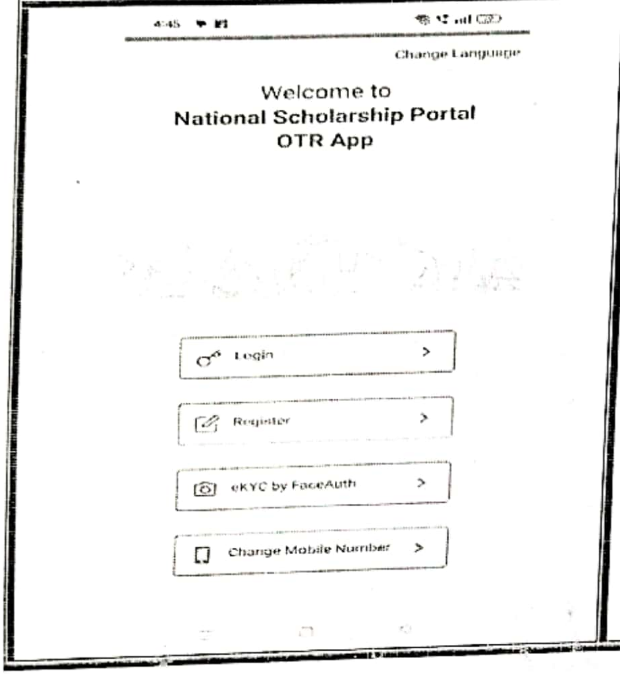	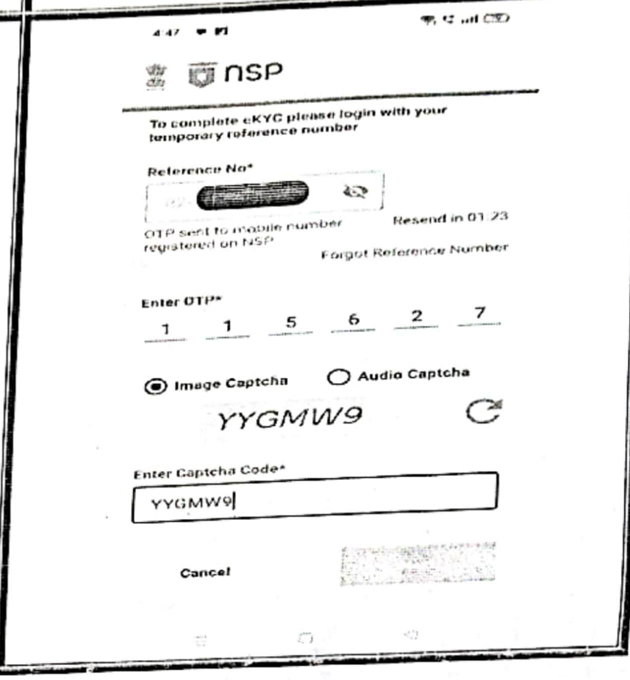

09– स. बिन्दु में आपका **Profile Details** दिखाई देगा जिसे **Proceed** करे। द. बिन्दु के चेक बाक्स में टीक लगाकर **Proceed** करे।

स.	द.
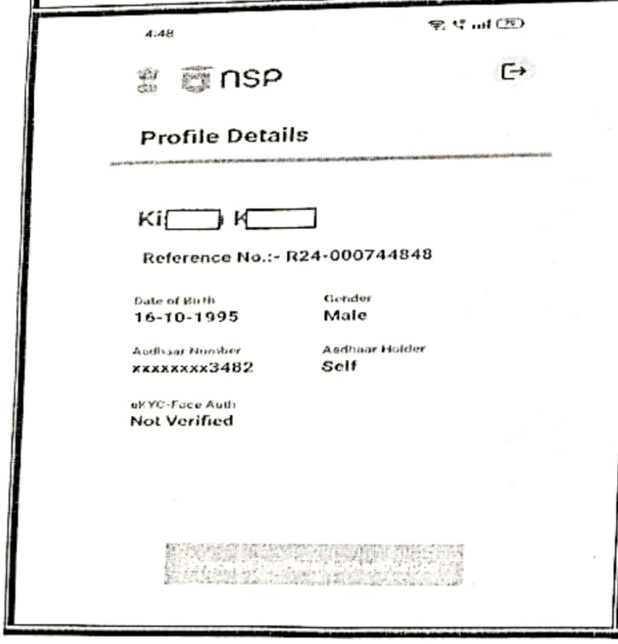	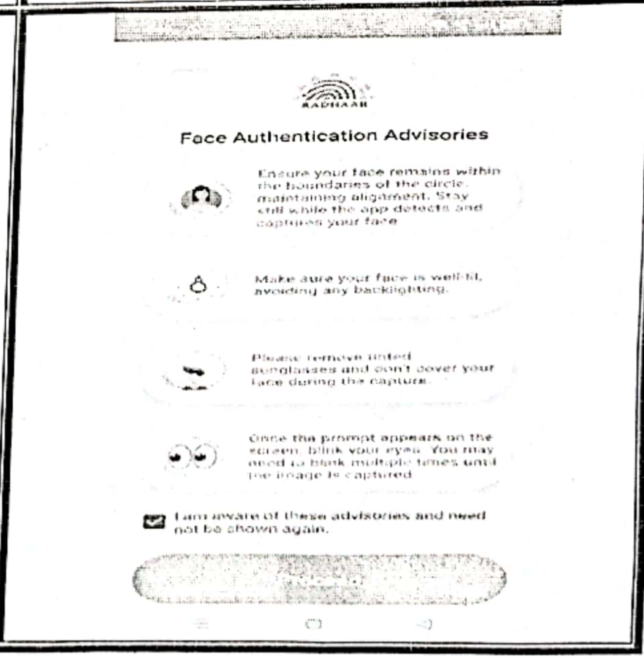

Scanned with CamScanner

10— इ. बिन्दु से आपका **Face** का सत्यापन किया जावेगा, जिसमें ध्यान देवें की गोले का रंग हरा होने दे एवं ऑखों को खोले और बंद करें ताकि सत्यापन का कार्य सही हो सके। फ. सत्यापन का कार्य पूर्ण हो जाने पर आपको ओ.टी.आर. नंबर प्राप्त हो जावेगा।

इ.	फ.
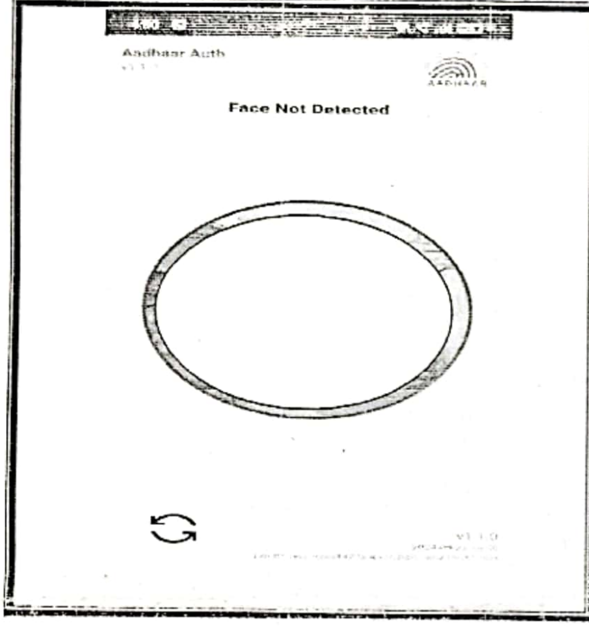	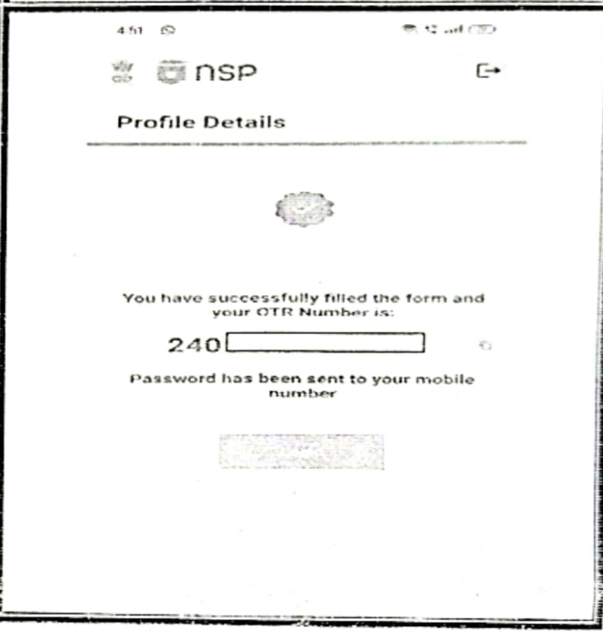

01— प्राप्त ओ.टी.आर. नंबर सुरक्षित रख लेवें। यही ओ.टी.आर. नंबर जब आपके द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरा जावेगा तब दर्ज करना होगा।

02— भारत शासन के निर्देशानुसार बिना ओ.टी.आर. नंबर के आवेदन किया जाना संभव नही है।

03— उक्त प्रक्रिया अंतर्गत जिनका आधार सीडिंग नहीं है वे विद्यार्थी भी ओ.टी.आर. नंबर प्राप्त कर सकते है। परन्तु छात्रवृत्ति आवेदन भरने से पूर्व संचालित बैंक खाता को आधार से सीडिंग निश्चित ही करा लेवें अन्यथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

04— ओ.टी.आर. की प्रक्रिया सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये आवश्यक है।

Scanned with CamScanner